

हैं) व कुलाप न बंदत लवण करने का निवेदन
 किया। बंदत प्राथना पत्र क्र. अ. धारा 136 LR Act
 लवण की गई। पत्रावली का अचानपूर्वक निवेदन
 किया गया एवं बंदत पर अन्त किया गया। प्राथना
 का प्राथना पत्र क्र. अ. धारा 136 LR Act में शिख
 लीकप किया जाता है। विद्वत दोषेष्ट प्रथक
 टंकित कवाचा जाकर शामिल मिलल किया गया।
 पत्रावली फेलल हुआ। दोका नम्बर 10 के अन्त
 दाखिल दफत (ह) अथ ए

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाटी (झुझुनी)